

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम राक्षी तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 84 / 2009 राजस्व वाद

उनवान

1. भोजराज पिता मांगु कुमावत उम्र वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल पिता मांगु कुमावत उम्र वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. बदाम पुत्री मांगु कुमावत उम्र वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमति गोगा पत्नि मांगु कुमावत उम्र वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा — (वादी)

बनाम

1. उदयलाल पिता उगमा कुमावत उम्र वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. कुन्दनमल पिता उगमा कुमावत उम्र वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पति हजारी पिता घीसा कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पुत्री राधा पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पुत्री प्रेम पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पुत्री जस्सु पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पुत्री शान्ति पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पुत्री बदाम पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पुत्र देवा पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. मृतका रामु पुत्री उगमा कुमावत के बजाय पुत्र राधेश्याम पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी खारीखेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. घीसुलाल पिता हरलाल कुमावत निवासी राक्षी तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)


वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री गोपाल पिता मांगु कुमावतवादी संख्या 02

दिनांक– 15.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम राक्षी में वादी संख्या 02 उपस्थित। आज दिनांक 15.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम राक्षी पटवार क्षेत्र राक्षी की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 11 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—


उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
— भीलवाड़ा, राज.

1. उदयलाल कुन्दनमल पिता उगमा 2/3 देवा राधेश्याम पिता हजारी राधा प्रेम जसु शान्ती बदाम पुत्री हजारी हजारी पिता घीसा 1/3 कुमावत सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1600	0.03	गै0मु0बाडा	—
1617/2	0.13	चाही तृतीय	3.90
कुल 1	रकबा 0-16 बीघा		3.90

2. भोजराज गोपाल पिता मांगु बदाम पुत्री मांगु गोगा बेवा मांगु कुमावत सा0 देह खातेदार

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1598	0.01	बी0ब0	0.02
1601	0.01	गै0मु0बाडा	—
1602	0.03	गै0मु0बाडा	—
1603	0.03	गै0मु0बाडा	—
1604	0.04	गै0मु0बाडा	—
1609	1.18	चा0जा0 तृतीय 1/3	1.20
कुल 6	रकबा 2.10 बीघा		4.28

3. घीसू पिता हरलाल कुमावत सा0देह

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
1614	0.06	बी0ब0	0.14
1617/1	0.12	चाही तृतीय 0.04	1.20
कुल 2	रकबा 0-18		5.54

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 11 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम राक्षी में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा